न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 813 /2025

पेम्पाराम पुत्र मोहनराम सुथार
बनाम
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां (जोधपुर)

दिनांक 28 .11.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रकरण संख्या 507/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील ओसियां स्थित ग्राम सारण नगर के खसरा नम्बर 678, 671, 646, 630, 644, 629, 643, 632, 641, 623, 624, 626, 627, 634, 631, 628 व 622 में से उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त खसरान में से अपीलार्थी ख0नं0 678 के खातेदार काश्तकार है। मौके पर ख0नं0 678 व 678/1 में बराबर 10–10 फीट का रास्ता चल रहा है। लेकिन रास्ते का आदेश भूलवश ख0नं0 678 में कर दिया गया है, जबकि इन दोनों खसरों में रास्ते का बराबर–बराबर आदेश होना चाहिए था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही कोई विधिक प्रकिया अपनायी गई। मौके पर रास्ता मौजूद है, जिसका आधा हिस्सा अपीलार्थी के खेत में आता है। वर्तमान में रास्ते का माप नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होकर, अपीलार्थी के रहवासीय मकान के उपर कर दिया गया है। जो प्रत्यर्थी की गलत रिपोर्ट अनुसार पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर विधिविरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव पर मौके पर विद्यमान सार्वजनिक रास्तो

25/11.

को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु पारित किया गया है। प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त रास्ता ख0नं0 678 में दर्शाया हुआ है। जिसके विपरित अपीलांट का यह कथन है कि मौके पर रास्ता ख0नं0 678 व 678/1 में बराबर–बराबर विद्यमान है। अतः प्रकट तथ्यों के अनुसार अपीलाधीन आदेश अपीलांट के खसरान की हद तक निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव पर की गई है। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उसकी सहमति ली गई। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के ख0नं0 678 के चिपते ख0नं0 678/1 स्थित है तथा मौके पर रास्ता दोनों खसरों में से बराबर–बराबर विद्यमान होने के बावजूद इसे अपीलांट के खसरे में प्रस्तावित/दर्ज किया गया है। वर्तमान में रास्ते का माप नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होकर, अपीलार्थी के रहवासीय मकान के उपर कर दिया गया है। अतः प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 507/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.21 को अपीलांट के खसरा नम्बर 678 की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों/सह–खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 25-11-25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर फैसल शुमार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

25/11/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर